भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1688

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

पंजाब में नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करना

†1688. श्री रवनीत सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब विशेषकर लुधियाना में नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए पंजाब सरकार से प्राप्त अनुरोधों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन के लिए किसी मानदण्ड का पालन किया जा रहा है;

(ग) विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्त मुख्य धारा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता करने के लिए विशेष शिक्षकों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से पंजाब राज्य में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का अनुपात हाल के वर्षों में कम हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार और विशेषकर पंजाब सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**डॉ. सुभाष सरकार**)

(क) और (ख) नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है जिसमें मानदंडों के अनुसार एक नया केवि स्थापित करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता है। प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हैं। वर्तमान में, पंजाब राज्य में 51 केवि कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) को पंजाब राज्य सरकार से लुधियाना सहित नए केवि खोलने के लिए निर्धारित प्रपत्र में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) केविएस ने सूचित किया है कि पंजाब में 14 विशेष शिक्षकों सहित 472 विशेष शिक्षकों को संबंधित केवि द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता करने के लिए आवश्यकतानुसार संविदा पर नियुक्त किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में हैं।

(घ) और (ड़) केविसं ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 471881, 486598 और 510922 बच्चों को क्रमशः शैक्षणिक-सत्र 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में नामांकित किया गया है। पंजाब राज्य सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकन **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(च) केवी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ii) एनईपी-2020 द्वारा अनुशंसित शिक्षाशास्त्र में बदलाव को लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन-हाउस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

(iii) योग्यता आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और योग्यता परीक्षण मदों को परीक्षण और परीक्षाओं में शामिल किया जा रहा है।

(iv) आईसीटी एकीकृत शिक्षा के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा स्वयं प्रभा चैनल, ई-पाठशाला, शैक्षिक ब्लॉग, दीक्षा आदि जैसे ओपन-सोर्स ऐप/प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।

(v) विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए छात्र सहायता सामग्री सभी विषयों के लिए तैयार की जाती है और छात्रों को प्रदान की जाती है।

(vi) अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को निष्ठा के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

(vii) केवि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर क्षेत्रों और केवि के साथ सम्मेलन, समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'पंजाब में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रवनीत सिंह द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1688 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**31.12.2022 तक कार्यरत विशेष शिक्षकों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	11
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	4
5	बिहार	12
6	चंडीगढ़	**0**
7	छत्तीसगढ	17
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
9	दिल्ली	31
10	गोवा	4
11	गुजरात	9
12	हरियाणा	9
13	हिमाचल प्रदेश	4
14	जम्मू और कश्मीर	5
15	झारखंड	8
16	कर्नाटक	11
17	केरल	30
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	48
21	महाराष्ट्र	27
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	1
26	ओडिशा	33
27	पुदुचेरी	0
28	**पंजाब**	**14**
29	राजस्थान	34
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	20
32	तेलंगाना	9

33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	64
35	उत्तराखंड	28
36	पश्चिम बंगाल	29
कुल		**472**

*****

अनुलग्नक- II

'पंजाब में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रवनीत सिंह द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1688 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

सभी कक्षाओं में पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय विद्यालयों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1114	1165	1254
2	आंध्र प्रदेश	7456	8207	9351
3	अरुणाचल प्रदेश	1157	1157	1220
4	असम	17343	17950	18191
5	बिहार	14554	15316	16628
6	चंडीगढ़	3453	3461	3672
7	छत्तीसगढ़	9460	10334	11793
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	476	481	487
9	दिल्ली	43365	42836	43880
10	गोवा	1952	1940	1966
11	गुजरात	16544	17186	17980
12	हरियाणा	11228	10709	11309
13	हिमाचल प्रदेश	3950	4122	4306
14	जम्मू और कश्मीर	10330	10513	11480
15	झारखंड	7831	8056	8506
16	कर्नाटक	27828	29457	30356
17	केरल	23439	23410	23838
18	लद्दाख	337	309	389
19	लक्षद्वीप	190	216	193
20	मध्य प्रदेश	28636	30512	32603
21	महाराष्ट्र	38328	39248	41142
22	मणिपुर	1358	1439	1578
23	मेघालय	1863	1777	1891
24	मिजोरम	445	492	521
25	नागालैंड	679	682	650
26	ओडिशा	17878	19827	21033
27	पुदुचेरी	1363	1496	1614
28	पंजाब	18553	18321	19861
29	राजस्थान	22136	23561	24731
30	सिक्किम	296	263	273
31	तमिलनाडु	26677	28303	30128
32	तेलंगाना	11752	12110	12846
33	त्रिपुरा	1548	1613	1830
34	उत्तर प्रदेश	53761	54717	56518
35	उत्तराखंड	13424	13438	13489
36	पश्चिम बंगाल	31177	31974	33415
	कुल	**471881**	**486598**	**510922**

*****